कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(बजट अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : [illegible] / प्र0अ0 / सिं0वि0 / बजट / बी 1 / आवंटन / कैम्प   दिनांक : [illegible] जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या File No. IRR 2-15/15.1/1/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 28374)/51582/2022, दिनांक 21.07.2022 द्वारा पूंजीलेखा के अनुदान संख्या–20 राज्य सैक्टर जमरानी बांध परियोजना हेतु एन0पी0बी0 / भूमि अधिग्रहण (53–वृहद निर्माण) मद के अन्तर्गत जमरानी बॉध बहुद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न अध्ययन कार्यो, कन्सलटेंसी कार्यो एवं आवासीय / अनावासीय भवनों एवं मोटर मार्गो के अनुरक्षण / मरम्मत कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 203.41 लाख (रूपये दो करोड़ तीन लाख इक्तालिस हजार मात्र) का प्रमुख अभियन्ता के निवर्तन पर रखते हुये आवंटन किया गया है।

अतः उक्त आवंटित धनराशि ₹ 203.41 लाख को मुख्य अभियन्तावार / खण्डवार / मदवार निम्नानुसार आवंटन किया जाता है :–

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	मद का विस्तृत विवरण / कार्य का नाम / मुख्य अभियन्ता / खण्ड का नाम	आवंटित धनराशि
क	20 / 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 80–सामान्य, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 04–जमरानी बांध परियोजना हेतु एन0पी0वी0 / भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि, 00–53–वृहद निर्माण (4700–80–001–04–00–53)	
	मुख्य अभियन्ता स्तर–2, हल्द्वानी	
	जमरानी बांध निर्माण खण्ड–2, हल्द्वानी (पी0आई0यू0 जमरानी बॉध के निवर्तन पर रखा जायेगा)	
क	Command Area, Cropping Pattern एवं Canal Network आदि के G.I.S. Mapping के कार्य।	9.20
	योग	**9.20**
A	**जमरानी बॉध बहुद्देशीय परियोजना से सम्बन्धित एडीबी द्वारा किये गये प्रेक्षणों एवं विविध कार्यो के सापेक्ष प्राक्कलन।**	
अ	**जमरानी बांध परियोजना हेतु विभिन्न अध्ययनों के कार्य।**	
i	Wild life Research/Study & Monitoring (कैमरा ट्रैप स्टडी)।	10.64
ii	Model Study of Jamrani Dam Multipurpose Project	28.80
ब	**जमरानी बांध परियोजना हेतु कन्सलटेंन्सी कार्य।**	
i	जमरानी बांध परियोजना में विशेषज्ञ समिति हेतु (i) तकनीकी (ii) सामाजिक (iii) अर्थशास्त्री (iv) पर्यावरण	74.48
ii	जमरानी बांध परियोजना का टेन्डर स्टेज डिजाइन तथा ड्राइंग हेतु कन्सल्टैन्सी।	53.49
स	**आवसीय / अनावासीय भवनों एवं मोटर मार्ग के अनुरंक्षण / मरम्मत का कार्य।**	
i	Maintenance and Repair (Roof and Interior) of Residential Building at GolaSinchai Colony, Damuadhunga, Dist- Nainital	8.14
ii	अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग में अनुरक्षण का कार्य।	18.66
	योग	**194.21**
	कुल योग	**203.41**

(₹ दो करोड़ तीन लाख इक्तालिस हजार मात्र)

उपरोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश संख्या File No. IRR 2-15/15.1.1/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 28374)/51582/2022, दिनांक 21.07.2022 में उल्लिखित निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा-

1. कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय, अनुरक्षण एवं पुनर्निर्माण के कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण का विशेष ध्यान रखा जाय ।
2. सामग्री एवं उपकरण क्रय हेतु ई प्रोक्योरमेण्ट एवं जेम पोर्टल/पारदर्शी एवं खुली निविदा के माध्यम से वित्तीय नियमों के अनुसार अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय समय पर यथा संशोधित) का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
3. योजना कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है । स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।
4. निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, स्टोन, पाइप, सीमेण्ट एवं अन्य का I.S. Code के मानकों के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुये मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता आवश्यक सुनिश्चित की जाय ।
5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के समस्त Design and Drawing सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाय ।
6. आगणन सिविल निर्माण कार्य हेतु एस0ओ0आर0 की दरें ली गई हैं एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित है। विशिष्टियों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी । अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।
7. जिन मदों हेतु धनराशि की मांग की गई है। उन्ही मदों में व्यय किया जायेगा ।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2023 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा ।

(मुकेश मोहन)
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक: /प्र0अ0/बजट/बी-1/तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, (सिंचाई) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून इस आशय से प्रेषित है कि उक्त धनराशि की साख सीमा अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें तथा साख सीमा की प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर-।।, हल्द्वानी, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।

(डी0एस0 कछवाहा)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता